न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 90/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी स्व0 शिवगिरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर		सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 63/2014 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जयदेव सिह चारण अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री ओमप्रकाश चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गांव पाल तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 310 रकबा 56.19 बीघा भूमि अपीलांट के स्व0 पति शिविगिरी की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी तथा उक्त खसरो की खातेदारी की पासबुक भी अपीलांट के पति स्व0 शिवगिरी के नाम जारी की हुई थी लेकिन बाद मे संवत 2048–2052 की जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हल्का पटवारी ने अपीलांट के पति स्व0 शिवगिरी का नाम खातेदारी भूमि से हटाकर डोली बनाम मंदिर महादेवजी के खातेदारी मे दर्ज कर दी जाने पर उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–5–2014 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी संवत 2045–48 की स्थिति को बहाल करते हुए प्रार्थिया के पति शिवगिरी पुत्र बंशीगिरी कौम गोस्वामी का नाम राजस्व रेकर्ड मे पुनः दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को पारित कर दिये । परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने दिनांक 5–6–2014 को बिना प्रार्थियां अपीलांट को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बाले–बाले उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–5–2014 को रिव्यू कर उक्त आदेश दिनांक 14–5–2014 के प्रभाव को खत्म कर दिया तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–6–2014 के द्वारा दिनांक 14–5–2014 के आदेश मे आंशिक रिप्यु किया जाकर ग्राम पाल के खसरा नंबर 310 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रन्यास संख्या 10/2010/जोधपुर श्री महादेव जी का मंदिर ट्रस्ट पाल गांव जोधपुर के अधिन होने से तद्नुसार कार्यवाही करने के तहसीलदार जोधपुर को निर्देश प्रदान कर दिये, जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब अपीलांट को सुनकर दिनांक 14–5–2014 को प्रकरण मे विधिसम्मत निर्णय पारित किया था तो उसको किसी रिव्यू प्रार्थना पत्र का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रार्थी अपीलांट को दिये बिना बाले–बाले अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं प्रकिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे धारा 86 एल.आर.एक्ट के प्रावधानो की ओर ध्यान दिलाया जिसमे अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी आदेश मे तब तक फेरबदल नही किया जायेगा या उसे उल्टा नही जायेगा, जब तक हितबद्ध पक्षकारो को उपस्थित होने और आदेश के समर्थन मे सुने जाने का पक्षकारो को नोटिस नही दे दिया गया हो । इसके अलावा उक्त बहस के समर्थन मे निर्णय नजीरे आर.आर.डी. 1993 पेज 425, आर.आर.डी.1989 पेज 667 भी पेश की ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि मौजा गांव पाल के खसरा नंबर 171 एवं 172 की भूमि ही मंदिर महादेव ट्रस्ट के अधीन भूमि है तथा अपीलाधीन खसरा नंबर 310 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि ट्रस्ट मंदिर महादेव के समर्पित नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 310 की भूमि को ट्रस्ट की मानते हुए अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 14–5–2014 के संबंध मे रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित कर दिया, जो अपीलांट के हक हकुको के विरूद्ध होने से उक्त रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र निर्णित किया था, उस वक्त पत्रावली पर रिव्यू मे वर्णित एवं उल्लेखित दस्तावेज पत्रावली मे मौजुद ही नही थे । रिव्यू आदेश मे उल्लेखित समस्त दस्तावेजात बाद मे पत्रावली मे नत्थी करते हुए जो रिव्यू आदेश पारित किया गया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर बिना किसी दस्तावेजी सबूत के खसरा नंबर 310 की भूमि को ट्रस्ट की मानने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5–6–2014 को पारित रिव्यू आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2011–12 (सप्ली) पेज 518 पैरा 4 डीबी की निर्णय नजीर पेश करते हुए कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी के स्तर पर ऐसे किसी दस्तावेज को अभिलेख पर नही लिया जा सकता, जो अपील का निर्णय करते समय प्रभाव मे थे।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रिव्यू मे कोई नये अभिवाचन नही उठाये जा सकते है तथा रिव्यू के जरिये प्रकरण को पुनः सुनने का अधिकार नही है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2005 (2) पेज

875 राज.हाईकोर्ट , आर.आर.डी.1993 पेज 477 राज.हाईकोर्ट डी.बी., आर.आर.डी.1994 पेज 690 पाईन्ट बी, आर.आर.डी.1993 पेज 283 पोईन्ट बी, ए,आई,आर,1980 सु.को.पेज 674, आर.आर.डी.2016 पेज 210 पैरा 7, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1397, आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 545 सु.को., आर.आर.डी. 2012 पेज 512, आर.आर.डी. 1997 पेज 174, आर.आर.टी 2015 (1) पेज 10सु.को., आर.आर.डी. 2005 पेज 509 डी.बी., आर.आर.टी. 2006–07 सप्ली. पेज 653 पेरा 11 व 12 बी तथा आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1277 पैरा (6) आदि निर्णय नजीरे पेश करते हुए नये तथ्य पर या तथ्य जो पहले निर्णित हो चुके है, उन पर रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता – रिव्यू का सिमित दायरा है, रिव्यू की आड मे प्रकरण का पुनः परीक्षण नही किया जा सकता तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति मे भी नजरसानी का आधार नही हो सकता तथा नजरसानी का आधार न्यायालय का गलत निर्णय नही हो सकता है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आदेश आर्डरशीट पर पारित किया है, जो विधिवत नही है । इस संबंध मे अपनी बहस के दौरान राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के नियम 128, नियम 187 के प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को निरस्त कर खसरा नंबर 310 ग्राम पाल की 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि को पूर्व आदेश दिनांक 14–5–2014 के अनुसार अपीलांट की खातेदारी भूमि मानी जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को जब सही तथ्यो की जानकारी रेकर्ड से हुई तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वयं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–5–2014 को रिव्यू करते हुए जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित किया है, वह राज्य हित मे सही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 14–5–2014 तथा रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 का अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये थे, जिनको मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–5–2014 को निर्णय पारित किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत हुए अतिरिक्त दस्तावेजात जिनमे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 13–7–2010 जिसमे श्री महादेवजी का मंदिर ट्रस्ट पाल गांव जोधपुर जो सार्वजनिक

प्रन्यास के रजिस्टर मे संख्या 10/2010/जोधपुर दर्शाया गया है तथा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 21/2009/जोधपुर दिनांक 13–7–2010 के निर्णय मे अपीलाधीन खसरा नंबर 310 की 56.15 बीघा भूमि को अन्य खसरा नंबरान 171 एवं 172 की भूमियो के साथ ट्रस्ट की सम्पति दर्शाया हुआ है जिसमे न्यासियो एवं प्रबंधको के नाम की सूची मे 1.शिवगिरी पुत्र स्व0 बंशीगिरी 2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी शिवगिरी 3. सुश्री पुरण गिरी पुत्री शिवगिरी के नाम दर्शाये हुए है तथा क्र.संख्या 1 मे वर्णित प्रबंधक शिवपुरी पुत्र स्व0 बंशीगिरी के देहांत दिनांक 25–10–2012 को होने पर अपीलांट भंवरीदेवी पत्नी स्व0 शिवगिरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/2013/जोधपुर मे दिनांक 30–1–2014 को मुख्य ट्रस्टी शिवगिरी की मृत्यु उपरांत श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी शिवगिरी को मुख्य ट्रस्टी के रूप मे मनोनित करने बाबत आदेश पारित किया है अथार्त अपीलाधीन भूमि उक्त श्री महादेवजी का मंदिर ट्रस्ट पाल गांव जोधपुर की होना प्रकट है तथा उक्त ट्रस्ट की मुखिया अपीलांट श्रीमती भंवरीदेवी होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने स्वःविवेक से अपने द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 14–5–2014 को रिव्यू करना न्यायोचित समझते हुए रेकर्ड की स्थिति अनुसार अपीलाधीन रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित किया है, जो रेकर्ड अनुसार न्यायसंगत है।

वर्तमान मामले मे अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यु आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त दस्तावेज रेकर्ड पर लेकर अपीलाधीन रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित कर दिया तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे अनेक निर्णय नजीरे उद्धरित की जिनका हम सम्मान करते हुए यह उल्लेख करना आवश्यक समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर की शक्तियां प्रदत्त होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हुए जो रिव्यु आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित किया है, वह विधिपूर्ण एवं न्यायसंगत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं रेकर्ड के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पारित निर्णय दिनांक 14–5–2014 को निरस्त करने बाबत कोई आदेश रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 मे नही दिया है बल्कि पूर्व आदेश को आंशिक रिव्यू करते हुए लिखा है कि "चूँकि उक्त खसरा नंबर 310 ट्रस्ठ के अधीन है तथा ट्रस्ट की मुखिया श्रीमती भंवरीदेवी है । ऐसी अवस्था मे खसरा नंबर 310 ट्रस्ट के अधीन होने से एवं ट्रस्ट मुखिया प्रार्थियां ही है व ट्रस्ट मंदिर महादेव जी के नाम होने से स्वतः भूमि मंदिर महादेव जी के अधीन है । ऐसी अवस्था मे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14–5–2014 मे आंशिक रिव्यू किया जाकर ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नंबर 310 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रयान्स संख्यचा 10/2010/जोधपुर

श्री महादेव जी का मंदिर ट्रस्ट पाल गांव जोधपुर के अधीन होने से तदनुसार तहसीलदार कार्यवाही करे ।" अथार्त अपीलार्थियां भंवरीदेवी को ट्रस्ट की मुखिया मानते हुए जो रिव्यू आदेश दिनांक 5–6–2014 को पारित किया है, जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नही माना जा सकता है ।

अपीलांट का यह कथन कि उसके पति शिवगिरी पुत्र स्व0 बंशीगिरी के खातेदारी की चली आ रही भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के संवत 2048–2052 की जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय हल्का पटवारी ने अपीलांट के पति स्व0 शिवगिरी का नाम खातेदारी भूमि से हटाकर डोली बनाम मंदिर महादेवजी के खातेदारी मे दर्ज कर दी जबकि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तो म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है इसके लिए सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद की कार्यवाही के जरिये खातेदारी अधिकारो की घोषणा संभव है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित रिव्यु आदेश दिनांक 5–6–2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर